रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269717
CG-DL-E-31012026-269717

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947
No. 74] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

महिला और बाल विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 75 (अ).—केंद्रीय सरकार, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (क) से खंड (घ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम 'बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग (संशोधन) नियम, 2025' है।"

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बालक अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग नियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल नियम कहा गया है) के नियम 5 में,—

(क) सदस्य-सचिव की शक्तियां और कर्तव्य' शीर्षक के अधीन, ''(1) सदस्य-सचिव'' कोष्ठकों, अंक और शब्दों के स्थान पर ''सदस्य-सचिव'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (xi) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

"(xi) आयोग के दैनंदिन कार्यों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए अधिकतम पांच लाख रुपए तक का व्यय उपगत करने की शक्ति निहित होगी।";

(ग) खंड (xii) में, "अधिकारियों और अन्य कर्मचारीवृंद" शब्दों के स्थान पर "अधिकारी और पदधारी" शब्द रखे जाएंगे।

3. मूल नियम के नियम 6 के उपनियम (6) में वर्णित, "ऐसी रिक्ति के होने की तारीख से नब्बे दिन के भीतर नामनिर्देशन द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही" शब्द रखे जाएंगे;

4. मूल नियमों के, नियम 6ग के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"6ग. (1) चयन समिति आवेदनों की जांच करने और अर्हताओं की बाबत अपेक्षित मानदंड को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करने में सहायता के लिए जांच समिति का गठन कर सकेगी।

(2) जांच समिति में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और बाल अधिकार क्षेत्र के दो ख्याति प्राप्त व्यक्ति होंगे, जिनमें से एक महिला विशेषज्ञ होगी।

(3) नियम 6ख के अधीन गठित चयन समति केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर विचार करेगी जिनकी जांच समिति द्वारा जांच की गई है और चयन किया गया है।

स्पष्टीकरण— इस नियम के प्रयोजनों के लिए, स्पष्ट किया जाता है कि जांच समिति चयन समिति द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में सहायता और सहयोग करेगी, और चयन समिति की भूमिका को प्रतिस्थापित नहीं करेगी।"

5. मूल नियमों के, नियम 7 में, -

(क) उपनियम (1) में, परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:–

परंतु जहां अध्यक्ष या कोई सदस्य सेवानिवृत्त सरकारी सेवक हो या किसी अर्ध-सरकारी निकाय या पब्लिक सेक्टर उपक्रम या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान से सेवानिवृत्त हुआ हो, तो उसके द्वारा प्राप्त पेंशन या सेवांत प्रसुविधाओं के पेंशनी मूल्य या दोनों के साथ संदेय वेतन ऐसी सेवानिवृत्ति के समय अंतिम लिए गए वेतन से अधिक नहीं होगा।";

(ख) उपनियम (2) में, "अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों" शब्दों के स्थान पर, "अधिकारी तथा पदधारी" शब्द रखे जाएंगे।

6. मूल नियमों के, नियम 8 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"8. भत्ते :- अध्यक्ष और सदस्य ऐसे भत्तों के हकदार होंगे, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उस दर पर अवधारित किए जाएंगे, जो केंद्रीय सरकार के समतुल्य स्तर के अधिकारियों के लिए अनुज्ञेय हैं"।

7. मूल नियमों के, नियम 9 का लोप किया जाएगा।

8. मूल नियमों के, नियम 10 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: –

"10. छुट्टी – अध्यक्ष और सदस्य केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार छुट्टी के हकदार होंगे"।

9. मूल नियमों के, नियम 11 के उपनियम (3) में, "किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर "कर्मचारी और पदधारी" शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल नियमों के, नियम 12 के उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: –

"(2) अध्यक्ष और सदस्य अपनी यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते से संबंधित अपने बिलों के संबंध में अपने स्वयं के नियंत्रक अधिकारी होंगे, और अन्य कर्मचारियों के लिए नियंत्रक अधिकारियों की अनुसूची अध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी"।

11. मूल नियमों के, नियम 13 में, "भारत सरकार द्वारा यथाअवधारित" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार के समतुल्य अधिकारियों को लागू" शब्द रखे जाएंगे।

12. मूल नियमों के, नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्: –

"15. चिकित्सीय उपचार की सुविधा: – अध्यक्ष, सदस्य और सभी नियमित अधिकारी या पदधारी केंद्रीय सरकार के सेवकों को यथालागू चिकित्सीय उपचार और अस्पताल की सुविधाओं के हकदार होंगे"।

13. मूल नियमों के, नियम 18 के उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: –

"(5) आयोग के किसी भी कार्य-व्यवहार संबंधी बैठक के लिए गणपूर्ति बनाने हेतु अपेक्षित संख्या आयोग की वास्तविक संख्या की आधी होगी"।

14. मूल नियमों के, नियम 24 में, –

(क) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम रखा जाएगा, अर्थात्: –

''(2) उन मामलों के सिवाय, जिनके लिए केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन की अपेक्षा होती है, अध्यक्ष के पास आयोग के वित्तीय संव्यवहार से संबंधित सभी शक्तियां रहेंगी।'';

(ख) उपनियम (4) में, "किसी सदस्य या सदस्य-सचिव" शब्दों के स्थान पर "सदस्य-सचिव" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (4) में परंतुक का लोप किया जाएगा।

(घ) उपनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्: –

"(5) अध्यक्ष को साधारण वित्त नियमों और केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विषय संबंधी सुसंगत मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के अनुसार किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए परामर्शी नियुक्त करने की अपेक्षा का विनिश्चय करने की शक्तियां होंगी''।

[फा. सं. सीडब्ल्यू-I-31/106/2015-अवर सचिव (सीडब्ल्यू-I)]

अजीत कुमार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 450 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2006 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात अधिसूचना संख्यांकों सा.का.नि. 517(अ), तारीख 29 जून, 2012, सा.का.नि. 207(अ), तारीख 24 मार्च, 2014, सा.का.नि. 315(अ), तारीख 6 मई, 2014, तथा सा.का.नि. 613(अ), तारीख 3 सितम्बर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2026

G.S.R. 75(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) to (d) of sub-section (2) of section 35 of the Commissions for Protection of Child Rights Act, 2005 (4 of 2006), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Commission for Protection of Child Rights Rules, 2006, namely**: -**

1. (1) These rules may be called the National Commission for Protection of Child Rights (Amendment) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Commission for Protection of Child Rules, 2006 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 5, –

(a) under the heading 'Power and duties of the Member-Secretary', for the brackets, figure and words "(1) The Member-Secretary shall", the words "The Member- Secretary shall" shall be substituted;

(b) for clause (xi), the following clause shall be substituted, namely: -

"(xi) be vested with the power to incur expenditure up to a maximum of five lakh rupees towards the administering and management of the day-to-day affairs of the Commission.";

(c) in clause (xii), for the words "officers and other employees", the words "officer and officials"; shall be substituted.

3. In the principal rules, in rule 6, in sub-rule (6), for the words "by nomination within ninety days from the date of occurrence of such vacancy", the words "expeditiously by the Central Government" shall be substituted.;

4. In the principal rules, for rule 6C, the following rule shall be substituted, namely: -

"6C. (1) The Selection Committee may set up a screening committee to assist it in scrutinising applications and prepare a list of candidates fulfilling the required criteria in respect of qualifications for shortlisting eligible candidates.

(2) The screening committee consisting of a Joint Secretary of the Ministry of Women and Child Development and two eminent persons from child rights field, out of which one shall be a woman expert.

(3) The Selection Committee constituted under rule 6B, shall consider only such candidates which are scrutinised and shortlisted by the screening committee.

Explanation. – For the purposes of this rule, it is clarified that the screening committee shall aid and supplement the process adopted by the Selection Committee and not replace the role of the Selection Committee.".

5. In the principal rules, in rule 7, -

(a) in sub-rule (1), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely: -

"Provided that where the Chairperson or any Member is a retired Government servant or has retired from a Semi-Government body or public sector undertaking or recognised research institution, the salary payable together with the pension or pensionary value of the terminal benefits, or both, received by the person shall not exceed the last pay drawn at the time of such retirement.";

(b) in sub-rule (2), for the words "officers and other employees", the words "officer and officials" shall be substituted.

6. In the principal rules, for rule 8, the following rule shall be substituted, namely: -

"8. Allowances. – The Chairperson and Members shall be entitled to allowances as determined by the Central Government from time to time, at the rates admissible to officers of the equivalent level of the Central Government.".

7. In the principal rules, rule 9, shall be omitted.

8. In the principal rules, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely: –

"10. Leave. –The Chairperson and Member shall be entitled to leave as per the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.".

9. In the principal rules, in rule 11, in sub-rule (3), for the words "any officer or other employee", the words "employee and officials" shall be substituted.

10. In the principal rules, in rule 12, for sub-rule (2), the following rule shall be substituted, namely: -

"(2) The Chairperson and Member shall be his own controlling officer in respect of his bills relating to traveling allowances and daily allowances and for other employees, a schedule of controlling officers shall be specified by the Chairperson.".

11. In the principal rules, in rule 13, for the words "may be determined by the Government of India", the words "applicable to the equivalent officers of the Central Government" shall be substituted.

12. In the principal rules, for rule 15, the following rule shall be substituted, namely: -

"15. Facility for medical treatment. – The Chairperson, Members and all regular officers or official" shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as applicable to the Central Government servants.".

13. In the principal rules, in rule 18, for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(5) The requisite number to form a quorum for meeting of the Commission in respect of its business shall be half of actual strength of the Commission".

14. In the principal rules, in rule 24, -

(a) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(2) The Chairperson shall have all powers relating to financial transaction of the Commission, except in cases, which require prior approval of the Central Government.";

(b) in sub-rule (4), for the words "any Member or the Member—Secretary:" the words, "the Member Secretary.**"** shall be substituted;

(c) in sub-rule (4), the proviso shall be omitted;

(d) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely: –

"(5) The Chairperson shall have powers to decide the requirement of engaging consultant for a specific purpose in accordance with the provisions of General Finance Rules and relevant guidelines on the subject issued by the Central Government from time to time.".

[F. No. CW-I-31/106/2015-O/O US(CW-I)]

AJEET KUMAR, Jt. Secy.

NOTE: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R 450 (E), dated 31st July, 2006 and subsequently amended *vide* notifications numbers G.S.R. 517(E), dated 29th June, 2012 , G.S.R. 207(E), dated 24th March, 2014, G.S.R. 315 (E) dated 6th May, 2014 and G,S.R 613(E) dated 3rd September, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.31 21:22:17 +05'30'